(क) क्या यह सच है कि सरकार को टेलीफोन संबंधी शिकायतों और उसमें आई खराबियों को दूर करने के लिए गठित प्रकोष्ठ संबंधी टेलीफोन सं. 198 पर उपलब्ध सेवा के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस तरह की मंडलवार प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किसी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है और उसका मंडल-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में कार्यरत एस०टी०डी०/आई० एस०डी० सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3663. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कितने एस०टी० डी०/आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य में नये टेलीफोन बूथों के आवंटन के लिए अभी भी कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं; और

(ग) ये आवेदन-पत्र विचार के किस चरण में हैं, उनका जिला वार ब्यौरा क्या है और इनके निपटान में बिलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) 30-6-93 की स्थिति के अनुसार 3733 एस.टी.डी./आई.एस.डी. पी.सी.ओ. हैं।

(ख) 855 आवेदन-पत्र लंबित है।

(ग) एस.टी.डी. पी.सी.ओ. की संशोधित नीति को मद्देनजर रखते हुए लंबित आवेदन-पत्रों की जांच एस एस.ए. वार की जाएगी और वर्ष के दौरान योग्य मामलों में पी.सी.ओ. आवंटित किए जाएंगे बशर्ते कि ऐसा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो और आवेदक पात्रता संबंधी शर्त पूरी करता हो।

Recommendation of Goswami Committee on Industrial Sickness

@3664. DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the recommendations of the Goswami Committee on industrial sickness and corporate restructuring; ana

(b) what steps are being taken by Government in implementing the GC Report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The recommendations of the Goswami Committee on Industrial Sickness and corporate restructuring, *inter-alia* include:

(i) early detection of sickness.

(ii) changes in the Companies Act, 1956 to facilitate restructuring.

@Previously Unstarred Question 3251, Transferred from 19-8-1993.